राजस्व मण्डल राजस्थान,

अजमेर ।

दूरभाष : 91-145-2627620 फैक्स : 91-145-2427072, 2627001 ई : मेल-bor-rj@nic.in

## अल्पकालीन बोली आमंत्रण की सूचना

#### (NOTICE INVITING BIDS)

Nib No. BOR/ Limited Bid/Goods Purchase/Rs.195000/2024/11

Dt.: 05.12.2024

1. राजस्थान सरकार के महामिहम राज्यपाल की ओर से राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा मण्डल कार्यालय में निम्निलिखित विषय वस्तुओं के उपापन के लिए निर्माता / वितरक / अधिकृत डीलरों / स्टॉकिस्टों / पंजीकृत बोलीदाताओं / वास्तविक डीलरों से शर्तरहित, मुहरबंद आधारित एकल चरण दो लिफाफा बोलियाँ (सीमित बोली) आमंत्रित की जा रही है:--

क्र.सं.	सामग्री का विवरण
1.	Risograph Paper Ream A3
1.	297 mm X 420 mm 70 GSM or more per unit (500 Sheets per Ream)

- 2. बोलियों के मूल्यांकन सीमित बोली के अधिनिर्णय में बोली दस्तावेज में यथा वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।
- 3. अनुबंध की शर्तें, मूल्यांकन एवं योग्यता मानदंड, बोली फार्म, डिजाइन / ड्राईंग स्पेसिफिकेशन, आपूर्ति अनुसूचि, आदि सिहत बोली दस्तावेज बोलियाँ खोली जाने की दिनांक से एक दिन पहले तक कार्य दिवसों के दौरान कार्य प्रसारित समय में उपापन संस्था के कार्यालय में देख सकते हैं। बोली दस्तावेज उपापन संस्था की वेबसाइट www.landrevenue.rajasthan.gov.in/bor एवं स्टेट उपापन पोर्टल www.sppp.gov.in पर देख सकते हैं एवं डाउनलोड कर ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं।
- 4. निर्धारित तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त बोलियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना खोले ही लौटा दी जायेगी।
- 5. बोलीयाँ, बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहते हैं के सम्मुख दिनांक : 09 / 12 / 2024 को समय 11:00 AM पर खोली जाएगी।
- 6. उपापन संस्था सर्वाधिक कम राशि वाली बोली को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है, एवं बिना कारण बताये किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकती है।
- 7. बोलीदाताओं को आयकर विभाग द्वारा जारी 'पैन कार्ड की प्रति' जमा करनी होगी।
- 8. उक्त बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा हुए संशोधनों के अनुसार जारी की जा रही है तथा साथ ही उक्त उपापन प्रक्रिया इन अधिनियम एवं नियमों एव संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
- 9. विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्राधिकार अजमेर न्यायालय होगा।

Jan :

and

यद्यपि मुद्रित की गर्स समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

#### 2. BID - DATA -SHEET

Name of the subject matter	Stationery Items (Risograph A3 Ream)		
Required No. of Item Subject Matter	Estimated Quantity-400 (The Procurring Entity is free to increase/decrease the quantity The Quantity mentioned is only for indication purpose)		
Nature of subject matter	Goods Purchase		
Method of procurement	Limited Bidding (Rate Contract)		
Estimated Cost	Rs.1,95,000 (Rupees One Lakh Ninty Five thousand Only)		
Date of Publishing of BID DOCUMENT	05/12/2024		
Last Date of Bid submission & Time	09/12/2024 Time 10:00 A.M.		
Technical Bid Opening Date, Time & Place Financial Bid Opening Date, Time & Place	09/12/2024 Time 11:00 A.M.  Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer Technically Qualified Bidders will be informed accordingly by BOR, Ajmer		
Websites for downloading Bid/BID DOCUMENT/ Bidding Document, Corrigendum's, Addendums etc	www.landrevenue.rajasthan.gov.in/bor www.sppp.in		
Proposal & BID Validity	90 days from the last date of bid submission		

Charle.

arak

#### **Scope of Work**

•	Name Of Subject Matter	Stationery Items (Risograph A3 Ream)
		Net Weight-4.37Kg
•	Specification Of Subject Matter	Size-297*420 mm
		GSM-70
		Sheet-500N
•	No. of Items	Estimated Quantity - 400
•	Supply Period	Within 04 days after Issuance of Supply order
•	Delivery Location	Board Of Revenue Rajasthan, Ajmer

3 Joanson

#### **BID - DATA - SHEET**

(Has to be filled by bidder necessarily)

#### **Pre-Qualification Requirement**

S.No.	Name of Requirement	Response Yes/No (If not kindly state reason)	Attached at page no.
1.	Signed Bid Document		
2.	PAN Card Copy		
3.	GST Registration Certificate/ Self Declaration		
4.	Self Declaration Regarding Work Experience (Annexure G).		
5.	Self Declaration Regarding Blacklisting (Annexure F)		
6.	Work Orders/Supply Order of similar Stationery Items having total value minimum 50 thousand in past 3 years.		
7.	Declaration on Rs.100 Non-Judicial Stamp certified by Notary		

#### 1. Financial Requirement (Financial Envelope)

S.No.	Requirement	Result
1.	Price Schedule in required format	Yes/No

Jan D.

#### **Technical Requirement**

निम्नांकित वांछित मापदण्डों को पूरा करते हुये आवश्यक दस्तावेज हस्ताक्षरयुक्त बोली दस्तावेज के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा स्थिति में बोली पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। बोलीदाता को वांछित आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करना अनिवार्य होगा और बोली के साथ वांछित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करने होगे अन्यथा स्थिति में बोली को तकनीकी रूप से पात्र नहीं मानते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

- 1. बोलीदाता को PAN Card की प्रति आवश्यक रूप से जमा करानी होगी।
- 2. बोलीदाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि " बोली प्रस्तुत करते समय वह किसी उपापन संस्था / राज्य सरकार द्वारा गत 03 वर्षों में Blacklisted / Debarred नही हैं और उपापन प्रक्रिया के दौरान यदि कुछ ऐसा होता है तो वह मण्डल कार्यालय को शीघ्र सूचित कर देगा"। इस हेतु बोलीदाता को Undertaking (Self-Declaration) प्रस्तुत करनी होगी।
- 3. बोलीदाता को बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर सहमति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर करने होंगे और बोली के साथ हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज संलग्न करना होगा।
- 4. बोलीदाता को कार्य अनुभव की Undertaking (Self-Declaration) प्रस्तुत करनी होगी एवं विगत 03 वर्षों में किसी राजकीय कार्यालय में समान कार्य (अनुमानित लागत 50 हजार) का कार्यादेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- राशि रूपये 100 के गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ-पत्र (नोटेरी द्वारा प्रमाणित) आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।

#### Financial Requirements

- 1. बोलीदाता द्वारा विषय—वस्तु की दरें निर्धारित प्रपत्र में ही अंकित की जानी है अन्यथा बोली को अस्वीकृत माना जायेगा।
- 2. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली का प्रपत्र एक अलग लिफाफे में सीलबन्द रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- 3. ध्यातव्य रहे कि निर्धारित Price-schedule में एक Item की Rate समस्त करों सहित चाही गई है।

god zin.

5

येर्झार्प मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

### 3. बोली जमा सूची (Bid Submission Sheet)

दिनांव	ъ
बोली	आमंत्रण सूचना क्रमांक
सेवामें	
निबंध गानम	क , व मण्डल राजस्थान,
अजमे	
	▼ : 91-145-2627620 फैक्स : 91-145-2427072, 2627001 ई : मेल-bor-rj@nic.in
हम, ३	अद्योहस्ताक्षरकर्ता, घोषणा करते हैं किः
(i)	हमने बोली दस्तावेज पढ़ लिया है, जाँच लिया है, और हमें इसमें वर्णित प्रावधानों से किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं हैं।
(ii)	हम बोली दस्तावेजों में वर्णित की गई उपापन की विषय वस्तु (मय स्पेसिफिकेशिन एवं अन्य निर्देशों सहित) के अनुरूप एवं प्रदाय अवधि की अनुसूचि में वर्णित अवधि के अनुसार निम्नलिखित माल एवं संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है।
	(ক)
	(ख)
(iii)	बोली दस्तावेजों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हमारी बोली, बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से 90 दिनों की कालाविध तक वैध रहेगी एवं यह हम पर बाध्यकारी होगी और निश्चित की गई वैधता अविध से पूर्व तक किसी भी समय उपापन संस्था द्वारा स्वीकार की जा सकेगी।
(iv)	हमारी फर्म, आपूर्तिकर्ता या उप बोलीदाता, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, भारतीय नागरिकता रखती है।
(v)	हम, बोलीदाताओं हेतु बोली दस्तावेजों में वर्णित अर्हता, पात्रता एवं योग्यता की शर्ते पूरा करते हैं और विषय वस्तु के उपापन में हमारा कोई हित विरोध नही है। हम इस बोली प्रक्रिया में एक से ज्यादा बोलीदाताओं के रूप में भाग नहीं ले रहे हैं।
(vi)	हमारी फर्म, इसकी सहायक और संबंधित इकाईयाँ, आपूर्तिकर्ता एवं उपबोलीदाता, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, को राज्य सरकार द्वारा या उपापन संस्था द्वारा निषेध नहीं किया गया है।
(vii)	जब तक कि औपचारिकता करार तैयार एवं संपादित नहीं हो जाता है, यह बोली एवं आपके द्वारा प्रेषित आशय पत्र / स्वीकृति पत्र आपके व हमारे बीच बाध्यकारी करार होगा।
(viii)	आप न्यूनतम बोलीदाता या अन्य किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, यह प्रावधान हम स्वीकार करते हैं।
	पदापि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानुों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

राजस्व	मण्डल राजस्थान, अजमेर
बोली	दस्तावेज – माल
-	चरण – दो लिफाफा बोली
(ix)	उपापन संस्था या इसका कोई भी प्रतिनिधि हमारे लेखों, रिकार्ड एवं बोली जमा करने से संबंधित
	किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा तथा उनके द्वारा नियुक्त कोई भी लेखा परीक्षक इनर्क
	लेखा जॉच कर सकेगा।
(x)	अन्य यदि कोई हो :—
()	
	ਵਜ਼ਰਾਹਜ਼ਾ <sub></sub>
	हस्ताक्षर: नाम:
	पदनाम:—
	किसकी ओर से(बोलीदाता का नाम):
	दिनांक:
	टेलीफोन न0:फैक्स न0:ईमेल:ई
	स्थाई पता

Codal).

#### œ

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर बोली दस्तावेज – माल एकल चरण – दो लिफाफा बोली

# मूल्य अनुसूची (Price Schedule)

# ः स्टेशनरी सामग्री उपापन हेत् ::

Name of the Stationery Article of the of the Stsograph paper Ream A-3mm x 297 mm 42070 GSM or more per unit (500 Sheets per Ream)  Total				1	1	1
Name of the Stationery Article  Name of the Stationery Article  Of the Article		d Rate per unit in Rs. ill taxes, freight, any other expenditure)	90	In figures (B)		
Name of the Stationery Article  Name of the Stationery Article  Of the Article		Offere (Including		In words(A)		
Name of the Stationery Article of the of the Stationery Article of the O2  Risograph paper Ream A-3mm x 297 mm 42070 GSM or more per unit (500 Sheets per Ream)  Total	٠٠ الم ١٠١	GST		<del>S</del>		
Name of the Stationery Article of the of the Stationery Article of the O2  Risograph paper Ream A-3mm x 297 mm 42070 GSM or more per unit (500 Sheets per Ream)  Total	ואט וארווא ואו	Basic Rate in (per unit) Rs.	,	40		
Name of the Stationery Arti  02 Risograph paper Ream A-3mm x mm 42070 GSM or more per ut (500 Sheets per Ream)	יי גראו.	Make/Brand of the Article	4	<b>0</b> 3		
. 6 -		Name of the Stationery Article	02		Risograph paper Ream A-3mm x 297 mm 42070 GSM or more per unit (500 Sheets per Ream)	Total
2 Z 6		Sr. No.	ļ	01		

• L-1 का निर्धारण सामग्री की न्यूनतम दर के अनुसार किया जायेगा।

• Basic Rate Per Item shall include the rate with all the taxes other than GST i.e. freight, any other expenditure.

नाम):
<u>क</u>
(बोलीदाता
से अधिकृत
⊼ Æ
ने ओर
किसब

दिनांक:------

टेलीफोन न0:-.....फैक्स न0:-....फैक्स न0:-.....ईमेल:-.....ईमेल:-

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूबना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, क्रिसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

Cd.

# 4. <u>INSTRUCTION TO BIDDERS</u> बोलीदाताओं हेतु निर्देश

- उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, नियम 2013 एंव संशोधनों के अनुरूप की जायेगी।
- 2. उपापन की विषय वस्तु के लिए सीमित बोली पद्धति के द्वारा मण्डल कार्यालय हेतु स्टेशनरी सामग्री (A3 पेपर रिम) उपापन हेतु दर संविदा की जा रही है। उपापन हेतु एकल चरण दो लिफाफा पद्धति अपनाई जानी है, जिसमें तकनीकी दस्तावेज मूल्य का प्रमाण पत्र, विषयवस्तु का स्पेशिफिकेशन, हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।
- 3. All other conditions shall prevail as detailed out in bid document in the respective sections.
- 4. The Bidder or his consortium partner(s), if any, should not be blacklisted / debarred / banned by any procuring entity at the time of filing this bid.
- 5. No contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/bidding process unless and until a formal contract singed and executed between the procuring entity and successful Bidder.
- 6. Procurement entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal.
- 7. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु CGST/SGST कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाड़े (कॉटेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी उपापन संस्था के कार्यालय के परिसर पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए है, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।
- 8. यदि राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उनके लिए जीएसटी के प्रावधान लागू होंगे।
- 9. बोली दाता द्वारा यदि जीएसटी अथवा कर मूल अनुसूची में नहीं किया जाता है तो अंतिम दरें समस्त करों सहित मानी जायेगी।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

- 10. विनिर्दिष्ट समय एवं तारीख के बाद बोलियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा और यदि डाक से प्राप्त होती है तो बिना खोले ही रिजस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जायेगी।
- 11. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों में नियमानुसार ही सुधार किया जा सकेगा।
- 12. सफल संवेदक द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि नियमानुसार 5 प्रतिशत (राशि रू. 9750 / –) जमा करवानी होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघमों के लिए कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 01 प्रतिशत दर पर होगी।
- 13. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार किये जाने योग्य होगी।
- 14. बोली की विधिमान्यता की कालाविध के अवसान के पूर्ण उपापन संस्था सफल बोली दाता को उसकी बोली स्वीकार कर लेने की सूचना प्रदान करेगी।
- 15. उपापन प्रक्रिया मे यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार अपील की जा सकेगी।
- 16. बोलीदाताओं द्वारा जमा किये गये दस्तावेजों की सत्यता का उत्तरदायित्व स्वयं बोलीदाता पर होगा।
- 17. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित या लाभकारी स्वामित्व बोलीदाता उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व उद्योग विभाग, राजस्थान के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देश के बोलीदाता की परिभाषा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 13 के अनुसार होगी।
- 18. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, नियम 2013 एंव संशोधनों के अनुरूप की जायेगी।

- Caren

mary

# 5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 7 की अनुपालना में बोलीदाता द्वारा घोषणा (Declaration by Bidder in Compliance of section 7 of Act)

#### -: बोलीदाता द्वारा घोषणा :--

आपके द्वारा स्टेशनरी सामग्री (A3 पेपर रिम) उपापन के लिये जारी की गई बोली आमन्त्रण सूचना क्रमांक Nib No. BOR/Limited Bid/Goods /Rs.195000/2024/J! Dt.: 05/12/2024 के परिप्रेक्ष्य में हमारी जमा की गई बोली के कम में, मैं / हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुरूप घोषणा करते हैं, कि

- (i) मैं / हम, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक वृतिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्त्रोत रखता हूँ तथा साथ ही आवश्यक अपेक्षित सक्षमता धारित करता हूँ / करते हैं।
- (ii) मैं / हम, ऐसे करों को जो कि बोली दस्तावेजों के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, को संदेत्र करने की बाध्यता को स्वीकार करता हूँ / करते है।
- (iii) मैं / हम, यह घोषणा करते है कि मैं / हम दिवालिया रिसिवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हूँ / है, या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ / होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्याकलाप रखूगाँ / रखेगे, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलबिंत रखूगाँ / रखेगे , ओर न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यशक्तियों के अध्यधीन होऊँगा / होगे।
- (iv) मैं / हम, घोषणा करते है, कि अपने आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालाविध के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दूर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए है, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है,
- (v) मैं / हम, घोषणा करते है, कि बोली दस्तावेज के अनुसार, हमारे कोई हित के विरोध की स्थिति नहीं है, जो कि उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप से प्रभावित करें,
- (vi) मैं / हम, घोषणा करते है, कि हमारी फर्म को राजस्थान में किसी भी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड / डिबार नहीं किया गया है।
- (vii) मैं / हम, घोषणा करते है, कि हमारी फर्म विगत.....वर्षों से पूर्वकथित पावर फैक्टर की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य कर रही है।
- (viii) मैं / हम, घोषणा करते है, कि हमने निविदा दस्तावेज के नियमों अथवा शर्तों की स्वीकृति के रूप में निविदा दस्तावेज के प्रत्ये पृष्ठ पर फर्म की मोहर के साथ अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

दिनांक :		हस्ताक्षर:
स्थान :-		नाम:
V-11 1 .		
		पदनामः
	$\circ$	पता मय दूरभाष:
	~\ / m	1
	C car	11/12
		CV VVP

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी मी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

### 6. उपापन / अनुबंध / करार की सामान्य शर्ते

#### (General Conditions of Contract)

- उपापन संस्था के समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला बोलीदाता या कोई भी व्यक्ति नियमों मे उल्लिखित "सत्यनिष्ठा संहिता" की पालना करेगा। सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी उपबंध के भंग होने की दशा में उपापन संस्था नियमानुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।
- उपापन संस्था या उसके कार्मिक और बोली लगाने वालों के मध्य नियमानुसार "हित विरोध" 2. की स्थिति उत्पन्न नही होनी चाहिए।
- कोई भी नैसर्गिक व्यक्ति, प्राईवेट संस्था, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था या जहाँ बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात हो, किसी करार के किये जाने के औपचारिक आशय से उनका कोई समुच्चय या विद्यमान करार के अधीन सहउद्यम के रूप में बोली लगाने वाले के रूप मे पात्र हो सकते है। माल के उपापन की दशा में बोली लगाने वाला माल का विनिर्माता, वितरक या सदभावी व्यवहारी होना चाहिए और वह विर्निदिष्ट रूप विधान में उसके आवश्यक सबूत देगा। साथ ही किसी बोली लगाने वाले की पात्रता नियमों में वर्णित उपबंधों के अनुसार होगी।
- उपापन संस्था द्वारा. बोली दस्तावेजों में, यदि कोई परिवर्तन या स्पष्टीकरण जारी किया जाता 4 है, जो कि बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट निबंधनों को सारवान रूप से प्रभावित करता है, तो उपापन संस्था बोली लगाने वालों को पर्याप्त समय प्रदान कर सकेगी और तत्पश्चात यथा उपांतरित बोली पर मृल्यांकन के लिए विचार किया जा सकेगा।
- बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि सामान्यतः 90 दिनों की होगी। विशेष 5. परिस्थितियों में उपापन संस्था कालावधि में विस्तार कर सकेगी। तत्पश्चात जिन्होंने विस्तार से सहमति जताई हो, उन्ही बोलियों को मूल्यांकन हेतु स्वीकृत माना जायेगा।
- बोली दस्तावेजों में विर्निदिष्ट समय, तारीख एवं स्थान पर, बोली लगाने वालों या उनके 6. प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहे, की उपस्थिति में बोलियाँ खोली जायेगी।
- बोलियों की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना, एवं अर्हता के दौरान बोली मूल्यांकन समिति स्वविवेक से 7. किसी बोली लगाने वाले को उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकेगी और ऐसे स्पष्टीकरण के लिए समिति का अनुरोध और बोली लगाने वाले का प्रत्युत्तर लिखित में होगा। किन्तु किन्ही गणितीय त्रृटियों की शुद्धि को पूष्ट करने के सिवाय बोली की कीमतों या सार मे कोई भी परिवर्तन अनुज्ञात नही किया जायेगा।
- बोली दस्तावेजों में बोली लगाने वालों के द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा PAN इत्यादि भी 8. सम्मिलित किये जायेंगे।
- एकल स्त्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन की पद्धतियों के सिवाय, जहाँ तक संभव हो, बोली पूर्व प्रक्रम के पश्चात कोई बातचीत नहीं की जायेगी। माँगे जाने वाले समस्त स्पष्टीकरण बोली पूर्व अवस्था मे ही माँगे जायेंगे। अन्यथा बातचीत सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही नियमानुसार की जा सकेगी। तत्पश्चात कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
- उपापन संस्था वस्तु विशेष के उपापन से संबंधित प्रक्रिया में नियमानुसार गोपनीयता के संरक्षण के लिए शर्तें अधिरोपित कर सकेगी।
- उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रदद करने और के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

- 12. उपापन संस्था नियमानुसार किसी बोली को उपवर्जित कर सकेगी। सशर्त बोलियाँ अस्वीकार किये जाने योग्य होगी।
- 13. उपापन संस्था बोली की प्रत्युत्तरदायित्वता का अवधारण करेगी। एवं बोली को प्रत्युत्तरदायी तब ही मानेगी जब कि वह बोली दस्तावेजों मे उपवर्णित समस्त उपेक्षाओं के अनुरूप है।
- 14. बोलियों के मूल्यांकन और के अधिनिर्णय में नियमानुसार कीमत और / या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।
- 15. मूल्यांकन कसौटी के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद बोली को सफल घोषित किया जायेगा। सफल बोली की कीमत उचित और अपेक्षित गुणवत्ता के सुसंगत होने के बाद ही उपापन संस्था द्वारा का अधिनिर्णय किया जा सकेगा।
- 16. उपापन के अधिनिर्णय के समय पर नियमानुसार सर्वाधिक लाभप्रद बोली कीमत पर उपापन की विषय वस्तु का परिणाम एक से अधिक बोली दाताओं के मध्य विभाजित किया जा सकेगा, यदि नियमानुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो।
- 17. बोली के मूल्यांकन के समय सर्वप्रथम तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा तत्पश्चात् जो बोली तकनीकी रूप से स्वीकृत होगी, उन्हीं की वित्तीय बोलियाँ खोली जायेगी और दस संबंध में संबंधितों को सूचित कर दिया जायेगा।
- 18. आवश्यक तकनीकी अपेक्षाओं को पूर्ण करती हुई न्यूनतम दर वाली बोली को सफल बोली माना जायेगा।
- 19. बोलियों का मूल्यांकन अंकित तकनीकी मापदण्डों, गुणवत्ता एवं अंकित की गई राशि को सम्मिलित करते हुए किया जायेगा।
- 20. यदि कोई उपापन प्रक्रिया रद्द कर दी गयी है तो उसे पुनः खोला नही जायेगा किन्तु उपापन संस्था द्वारा यदि अपेक्षित है तो, उसी विषय वस्तु के लिए, नयी उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।
- 21. बोली लगाने वाले को स्वयं के खर्चे पर नियमानुसार गैर न्यायिक शपथ—पत्र पर स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किये जाने की दिनांक से निर्धारित अवधि के भीतर उपापन / करार पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वो ऐसा करने मे विफल रहता है, तो उपापन संस्था उसके विरूद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी।
- 22. उपापन संस्था परिस्थितियों के अनुसार उपापन की किसी विषयवस्तु के उपापन के लिये मना कर सकती है या विर्निदिष्ट परिमाण से कम उपाप्त कर सकती है या अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिणामों के लिये पुनरादेश नियमानुसार दिया जा सकेगा।
- 23. बोलीदाता अपनी को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौंपेगा या उप—भाड़े (Sub Let) पर नही देगा।
- 24. यदि बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप, जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या उसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह इस हेतु पदाभिहित अधिकारी को नियमानुसार अपील दायर कर सकेगा। इस हेतु नियमानुसार परिस्थितियों में समस्त कार्यवाही इस अधिनियम, नियम व मार्गदर्शन के अनुबंधों के अनुसार की जायेगी।
- 25. बोली दस्तावेजों में सम्मिलित सभी भागों को या दस्तावेजों को एकीकृत रूपों में समझा जावेगा।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक स्पापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

- उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 एवं यथा संशोधनों के अनुरूप की जायेगी, तथा साथ ही जहाँ आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू होगें।
- रिस्क एण्ड कोस्ट नियमानुसार अमल में लाया जायेगा।
- उपापन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

#### हस्ताक्षर (बोलीदाता)

नाम:
पदनामः
पता:
टेलीफोन न0:
फैक्स न0
र्च मेल



#### :: करार पत्र ::

स्वीका जाएग जहां	यह करार पत्र आज दिनांकमाहसनसनको एक पक्ष केइसमें आगे ''अनुमोदित प्रदायकर्ता' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहा संदर्भ द्वारा ऐसा ए किया जाएगा, इसके उत्तराधिकारियों,निष्पादकों एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा ।) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे ''सरकार'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशीतियों को शामिल हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।
1.	चूँिक अनुमोदन प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य केको उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसकी शाखा कार्यालयो को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी माल की बोली एवं संविदा की शर्तों में दिए गये तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालममें दी गयी दरों पर प्रदाये करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
2.	चूँकि अनुमोदित प्रदायकर्ता ने रूपयेकी राशिनिम्न प्रकार से जमा करायी हैं:-
i.	नकद / बैंक ड्राफ्ट / चालान संख्या / बैंकर्स चेक संख्यादिनांक द्वारा,
ii.	विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत रहन रखकर डाकघर बचत पास बुक के रूपये में,
iii.	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों / डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स / किसान विकास पत्रों या अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अंतर्गत किन्ही अन्य स्क्रिप्ट / इन्स्ट्रूमेंट के रूप में, यदि इन्हें सम्बंधित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किये जायेंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों रूप से औपचारिक रूप से हस्तांतरित कर दिया गया हो।
3.	अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैं:-
i.	इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों परके मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ताओर उसकेमें तथा बोली एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तु का विधिवत प्रदाय करेगा।
ii.	बोली आमन्त्रण सूचना संख्यादिनांकसे संलग्न सीमित बोली हेतु बोली एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होंगे।
iii.	बोलीदाता से प्राप्त पत्र संख्यातथा सरकार द्वारा जारी किया पत्र संख्याभी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किया गये है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।
4.	(क) सरकार एतद द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त माल का उपर्युक्त तरीके से विधिवत प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालना करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकारके माध्यम से अनुमोदित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गये समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।
	(ख) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किये गये अनुसार होगी:-(GF&AR में अंकित अनुसार)
	1
	.2
	.3
	and?

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त प्रूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

 माल की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अविध के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जायेगी:-

क्रम संख्या	मदों की संख्या	सुपुर्दगी अवधि

- 6. (1) यदि परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गयी हो तो प्रदाय न किये गये सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:—
  - (i) विहित सुपूर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलंब के लिए- 2.5 %
  - (ii) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए- 5 %
  - (iii) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए- 7.5 %
  - (iv) विहित सुपूर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए— 10 %

#### टिप्पणी--

- (i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जायेगा।
- (v) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
- (ii) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित की होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न की प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।
- (2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो, जो बोलीदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।
- 7. उपापन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

इससे साक्ष्य में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक.....माह....सन 20.....सन 20....को अपने हस्ताक्षर किये।

अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षर पदनाम

दिनांक

दिनांक

साक्षी संख्या 01

साक्षी संख्या 01

साक्षी संख्या 02

साक्षी संख्या 02

#### Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- A. Not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- **B.** Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- C. Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- **D.** Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- E. Not indulge in any coercion including impairing or harming or treating to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- F. Obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- G. Disclose conflict of interest, if any; and
- **H.** Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country baring the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### **Conflict of Interest:**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a siltation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulation.

A Bidder may be considered to be Conflict of Interest With one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- A. Have controlling partners/shareholders in common; or
- B. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- C. Have the same legal representative for purposes of the bid; or
- **D.** Have a relationship with each other, directly or through common third parties. That puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process's
- E. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more then one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved, however, this does not limit the inclusion of the same sub contraction, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- **F.** The bidder or any of its affiliates participated as consultant in preparation of the design or technical specifications of the good, works or services that are the subject of the bid; or
- G. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रविधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपार्यन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

B

#### Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

#### **Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to......for procurement of......in response to their Notice Inviting Bids No...........Dated.......I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

- 1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
- 2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- 3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct ro the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
- 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:
- **6.** Our firm has not been blacklisted/debarred anywhere in the Rajasthan.
- 7. I/we have put mu/our signature along with seal of my/our firm on every page of the tender document as a token of acceptance of the terms & conditions of the tender document.

Date: Signature of bidder

Place: Name:

Designation:

Address:

Joseph .

onal

#### **Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman, BOR Ajmer

The designation and address of the Second Appellate Authority Secretary, Revenue Department, Jaipur

#### 1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in Contravention to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document with in a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feel aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entry evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter or financial Bids be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expaditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3) If the officer designated under Para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para(2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or prospective bidder or the procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf with in fifteen days from the expiry of the period specified in Para(2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate, as the case may be.

#### 4) Appeal not to lie in certain case

No appeal shall lie against any decision of the procuring Entity to the following matters, namely:-

- a) Determination of need of procurement;
- b) Provision limiting participation of Bidder in the Bid process;
- c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- d) Cancellation of a procurement process;
- e) Applicability of the provisions of confidentiality;

#### 5) Form of Appeal

a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथिपि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं स्थिम, 2013 ही मान्य होंगे।

- **b)** Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- c) Every appeal may be presented to first appellate authority second appellate, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

#### 6) Fee for filing appeal

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- b) The fee shall be paid in the from bank demand draft banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

#### 7) Procedure for disposal of appeal

- a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- b) On the date fixed or hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, shall
  - i. hear all the parties to appeal present before him; and
- ii. Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.
- c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State public procurement portal.

वैद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी मी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं निस्म, 2018 ही मान्य होंगे।

andz

# Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in public procurement Act, 2012

Ap	peal Noofof.	
Be	fore the (First/Second Appellate Authority)	
1.	Particulars of appellant:	
	(1) Name of the appellant:	
	(2) Official address, if any:	
	(3) Residential address:	
2.	Name and address of the respondent(s)	
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
3.	Number and date of the order appealed against and name and designation of officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which appellant is aggrieved:	
4.	If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:	
5.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:	
6.	Grounds of appeal:	
	(Supported by an affidavit)	
7.	Prayer:	
	•••	
Dla	ce	
Dat Ap <sub>l</sub>	pellant's signature	

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

#### Annexure D: Additional Conditions of Contract

#### 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall e corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in

which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of error, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

#### 2. Procuring Entity's Right to vary Quantities

- i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- ii. Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under
  - a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and
  - b) 50% of the value of goods or services of the original contract.]

# 3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in the order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

#### Annexure E: Declaration by the Bidder regarding Qualification

In relation to my/our Bid submitted to "REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER" for procurement of Stationery Article-A3 Paper Ream in response to their NIB NO.: BOR/Limited Bid/ Goods Purchase/Rs.195000/2024/11 Dt.: 05/12/2024

I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

- 1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
- 2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- 3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
- **5.** I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:

Date:		Signature of bidder
Place:	Name:	
	Designation:	
	Address:	
	Mobile No. :	

ander

Open and

2

#### Annexure F: Declaration by the Bidder regarding Blacklisting / Debarred

In relation to my/our Bid submitted to "REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER" for procurement of Stationery Article-A3 Paper Ream in response to their NIB NO.: BOR/Limited Bid/ Goods Purchase/Rs.195000/2024/11 Dt.: 05/12/2024

I/We hereby declare that my/our firm has not been **BLACKLISTED / DEBARRED** by any Government / Private / Public Department in any way in preceding three years.

Date: Signature of bidder Place: Name:

Designation:

Address:

Mobile No.:

anur

Godzi?

#### Annexure G: Declaration by the Bidder regarding Work Experience

In relation to my/our Bid submitted to "REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER" for procurement of Stationery Article-A3 Paper Ream in response to their NIB NO.: BOR/Limited Bid/ Goods Purchase/Rs.195000/2024#1Dt.: 05/02/2024

I/We hereby declare that my/our firm has worked for Government / Private / Public Department (Please enclose name of the organistaion) in respect of Stationery Items done in past three years :-

Sr.No.	Name of the Government Office	Year in which the service is rendered	Amount of the service rendered
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

The bidder must submit the work order of the above said work otherwise the Procurring Entity will not entertain the above information.

The Total amount of work done in past three years must be greater than Rs50 thousand.

Date: Signature of bidder

Place: Name:

Designation:

Address:

Mobile No.:

cruzy

Joseph .

#### शपथ-पत्र

#### (राशि रूपये 100 के गैर न्यायिक स्टाम्प पर)

NIB N	NO.: BOR/Limited Bid/ Goods Purchase/Rs.195000/2024/11 Dt.: 05/12/2024
	मैसर्स (कम्पनी / फर्म / एजेन्सी का नाम एवं पता)
	शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता / करती
हूं कि	; <del></del>
1.	बिड क्रमांक मय दिनांक में मेरे / हमारे द्वारा दी गयी समस्त जानकारियां / दस्तावेज पूर्णतया सही हैं।
2.	मेरे / हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी / हमारी कम्पनी / फर्म / एजेन्सी, केन्द्र / राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा विगत 03 वर्षों में Black Listed/Debar/ नहीं की गयी हैं।
3.	बोली प्रपत्र में मांगी गई विभिन्न प्रकार के पंजीकरण के प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न कर दी गई हैं एवं समस्त दस्तावेज पूर्णतया सही हैं तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी / हमारी रहेगी।
4.	उपरोक्त बिड संख्यामें चाही गई/संलग्न की गई सूचनाएँ प्रमाण पत्र गलत/कूटरिचत पाया जाता हैं तो विभाग किसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।
Date:	Signature of bidder
Place:	Name:
	Designation:
	Address:
	Mobile No.:

3

and

Jazof.